SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

| Case No57/18 Sum | Complaint or report madeon09-02-18 |
|---|--|
| Name and address of the Compla | inantPolice station Malanpur |
| | |
| | |
| | |
| | -100 Mc |
| Nam | e , parentage,caste and address of accused |
| नेतेन्यसिंद एवं नामिर्धन जीटान : | ATT ATT ATT |
| देवेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गासिंह चौहान व निवासी विवेकानन्द वार्ड थाना मे | |
| मानासा विवयम । ५ वाठ ना ॥ | WITH CITY CICL IICH ISC |
| | 100 |
| 2.00 | |
| 12 00 | |
| | |
| The offence, o | complainant of, and date of, its alleged commission |
| The inches, e | omplantation, and date of, no arreged commission |
| आप पर आरोप | है कि दिनांक 09.02.18 मुकाम डाक्टर शोप फैक्ट्री के पास रोड |
| | ्र र बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 24 क्वार्टर देशी प्लेन |
| | Š |
| शराब विक्रय / परिवहन हेतु रखी। | |
| ऐसा करके आपने | । आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय |
| अपराध कारित किया। | |
| त्वामार मास्य | जे उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। |
| पंपा आपप | ग उपरा अपराव स्पापगर है या प्राराखा। बाहरा हा। |
| | 201 |
| | हस्ता. |
| The ple | a of the accused and his examination (if any) |
| 0 4 | |
| अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से व | रिण्डित करने का निवेदन हैं। |
| हस्ताक्षर अभियुक्त | ST Z |
| | E. D. |
| | हस्ता. |
| | 1 |
| | A 60 |

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 12.04.18 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये 500/- शब्दों में पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. जप्तशुदा सम्पित्त 24 क्वार्टर देशी प्लेन शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)